सत्यमेव जयते

रेल दावा अधिकरण, इलाहाबाद न्यायपीठ

वाद संख्या–OA/IIu/ALD/315/2021

पीठासीनः

श्री राजीव जैन, माननीय सदस्य (न्यायिक)/नागपुर पीठ/सर्किट बेंच–इलाहाबाद न्यायपीठ

संस्थन की तिथिः 11.11.2020
निर्णय की तिथिः 11.09.2024

1. बालकरन पटेल पुत्र छोटे लाल पटेल उम्र 71 वर्ष (पिता)
2. रामकली पत्नी बाल करन पटेल उम्र 65 वर्ष (माता)
3. श्रीमती दुलारी पत्नी भारत लाल उम्र 41 वर्ष (पत्नी)
4. खुशी पटेल पुत्री भारत लाल उम्र 9 वर्ष
5. शिवम पुत्र भारत लाल उम्र 7 वर्ष (पुत्र)
6. सन्नी पुत्री भारत लाल उम्र 6 वर्ष (पुत्र)

सभी निवासी– ग्राम– धनुहा (नेवती) पोस्ट एवं थाना– नैनी, तहसील– करछना, जनपद– प्रयागराज, उत्तर प्रदेश।

.....याचीगण

बनाम

भारत संघ,
द्वारा महाप्रबंधक, उत्तर मध्य रेलवे, इलाहाबाद

.....उत्तरदाता

दावा राशिः रू. 8,00,000/– मय ब्याज

उपस्थितिः

याची की ओर से– श्री प्रयोगेन्द्र पाल सिंह, अधिवक्ता।

उत्तरदाता की ओर से– श्री एच.एन.सिंह, अधिवक्ता।

निर्णय

श्री राजीव जैन, माननीय सदस्य (न्यायिक):

1. याचीगण की ओर से यह याचिका रेल दावा अधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा–16 के अन्तर्गत दिनांक 20.06.2019 को अपने पुत्र भारत लाल की रेल दुर्घटना में मृत्यु हो जाने के परिणामस्वरूप, उस पर अपनी आश्रितता के आधार पर भारत संघ द्वारा महाप्रबंधक, उत्तर मध्य रेलवे, इलाहाबाद के विरूद्ध क्षतिपूर्ति की याचना के साथ प्रस्तुत की गयी है।

2. याचीगण के अभिकथन के अनुसार मृतक दिनांक 20.06.2019 को ट्रेन नं. 12321 हाबडा–मुम्बई मेल एक्सप्रेस से हजारीबाग रोड रेलवे स्टेशन से प्रयागराज जंक्शन रेलवे स्टेशन तक की यात्रा के दौरान बी.सी.पी.टू. केसीएन 801/21–23 के ऑफ लाईन के मध्य ट्रेन से गिर कर उसकी मृत्यु हो गयी। मृतक का हजारीबाग रोड से प्रयागराज जं. रेलवे स्टेशन तक का द्वितीय श्रेणी रेल यात्रा टिकट दुर्घटना के दौरान गुम हो गया।

3. उत्तरदाता रेलवे की ओर से वैधानिक विवेचना आख्या प्रस्तुत करते हुए, याचीगण के उपरोक्त अभिकथन से पूर्णतः इन्कार किया गया है और याचिका का इस आधार पर विरोध किया गया है कि मृतक न तो प्रश्नगत रेलगाड़ी से यात्रा कर रहा था और न ही मृतक की मृत्यु ट्रेन से गिरने के कारण हुई अपितु याचीगण द्वारा पूर्णतः आधारहीन एवं मनगढ़न्त कथनों पर यह याचिका प्रस्तुत की गयी है। अतः उक्त घटना रेल अधिनियम 1989 की धारा 123 (सी) (2) सपठित धारा–124 'ए' की परिधि में नहीं आती है। तद्नुसार, यह याचिका खारिज किये जाने योग्य है।

वाद–बिन्दु

4. पक्षकारों के अभिवचनों के आधार पर इस याचिका के निर्णय के लिए दिनांक 11.10.2021 को निम्नलिखित पाँच वाद बिन्दु बनाये गये :–

    1. *Whether the deceased was a bona-fide passenger of the train in question at the relevant time of the incident?*
    2. *Whether there was any untoward incident as defined under the provision of Section 123(c) read with Section 124 (A) of The Railways Act, 1989?*
    3. *Whether the applicant/s is/are only dependant/s of the deceased?*
    4. *Whether the applicant/s is/are entitled for any relief and interest as prayed in the application?*
    5. *Relief, if any?*

5. याची क्रमांक 1 बालकरन पटेल द्वारा अपने अभिकथन के समर्थन में स्वयं का शपथ पत्र एडब्ल्यू–1 के रूप में प्रस्तुत किया गया है। एडब्ल्यू–1 का प्रतिपरीक्षण दिनांक 21.09.2023 को प्रतिवादी पक्ष

द्वारा किया गया। प्रलेखीय साक्ष्य के रूप में याचीगण की ओर से अपने आधार कार्ड प्रदर्श ए–1 के अलावा मृतक का आधार कार्ड प्रदर्श ए–2 की प्रमाणित छायाप्रति प्रस्तुत की गयी हैं।

6. उत्तरदाता की ओर से अपने अभिकथन के समर्थन में वैधानिक विवेचना आख्या (डी.आर.एम. रिपोर्ट) (प्रदर्श आर–1) प्रस्तुत की गयी है एवं प्रतिवादी साक्ष्य (प्रदर्श आर डब्ल्यू–1) के रूप में श्री विकास श्रीवास्तव, गेटमैन को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

7. याचीगण की ओर से श्री प्रयोगेन्द्र पाल सिंह एवं उत्तरदाता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री एच. एन.सिंह द्वारा की गयी बहस को सुना गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का सम्यक् अवलोकन एवं परिशीलन किया गया।

विनिश्चय

वाद–बिन्दु संख्या– 1 व 2

8. यह दोनों वाद–बिन्दु एक–दूसरे से सम्बन्धित होने के कारण इनका निराकरण एक साथ किया जा रहा है। प्रश्नगत घटना के सम्बन्ध में इस अधिकरण के समक्ष दो विपरीत वृत्तान्त (narratives) प्रस्तुत किये गये हैं। याचीगण के अनुसार, मृतक दिनांक 20.06.2019 को हजारीबाग रोड से प्रयागराज जं. रेलवे स्टेशन तक की यात्रा ट्रेन नं. 12321 हाबडा–मुम्बई मेल एक्सप्रेस से कर रहा था तथा प्रयागराज रेलवे स्टेशन बी.सी.पी.टू केसीएन 801/21–23 ऑफ लाईन के मध्य अचानक ट्रेन से गिर जाने के कारण उसकी मृत्यु हो गयी। दूसरी ओर, प्रतिवादी रेलवे के अनुसार, मृतक की मृत्यु अनाधिकृत रूप से रेलवे फाटक को पार करते समय ट्रेन से टकराकर हुई है।

9. माननीय उच्चतम न्यायालय ने भारत संघ बनाम रीना देवी (2018 ए.सी.जे. 1441) के मामले में पैरा–17.4 में यह विधिक सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि–

"mere presence of body on the railway premises will not be conclusive to held that injured or deceased was a bonafide passenger for which claim for compensation could be maintained. However, mere absence of ticket with such injured or deceased will not negative the claim that he was a bonafide passenger. Initial burden will be on the claimant which can be discharged by filing an affidavit of the relevant facts and burden will be then shift on the Railways and the issue can be decided on the facts shown or the attending circumstances. This will have to be dealt with from case to case on the basis of facts found. The legal position in this regard will stand explained accordingly."

अतः प्रथमतः यह जिम्मेदारी याचीगण की है कि वे अपने दावे को सिद्ध करें। इस घटना के सम्बन्ध में याचीगण ने प्रलेखीय साक्ष्य के रूप में मृतक के आधार कार्ड की प्रति प्रस्तुत की है तथा एडब्ल्यू–1 के रूप में याची क्रमांक 1 बालकरन पटेल का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिनका प्रतिपरीक्षण दिनाँक 21.09.2023 को प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा न्यायालय के समक्ष हुआ है। अतः मैं इस प्रकरण के तथ्यों एवं तत्संगत परिस्थितियों के आलोक में इन साक्ष्यों की विवेचना करूंगा।

10. स्वयं याचीगण द्वारा प्रस्तुत पंचायतनामा के राय पंचान में दर्ज है कि– "मृतक की मृत्यु ट्रेन की चपेट में आने के कारण आई गम्भीर चोटों से प्रतीत होती है" होना अंकित है। पंचायतनामा में वर्णित कथनों के अनुसार मृतक के शव पर कोई कपड़ा नहीं था एवं मृतक के हाथ–पैर तथा पूरा शरीर टुकड़ों में कटा पड़ा हुआ था। घटनास्थल घर के पास था और पंचों के अनुसार मृतक की मृत्यु ट्रेन से टकराकर हुयी है। पंचायतनामा की कार्यवाही में मृतक के पास कोई भी रेल यात्रा टिकट या ऐसा कोई अधिकार पत्र प्राप्त नहीं हुआ है जिससे यह पता चल सके कि मृतक ट्रेन से यात्रा कर रहा था।

11. याचीगण द्वारा प्रस्तुत पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार, शव परीक्षण में अंकित चोटें पंचायतनामे से मेल खाती हैं तथा पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार मृतक की मृत्यु का कारण "*instantaneous death due to ante mortem injury*" दर्ज किया गया है। पंचायतनामा में दर्शित शव की स्थिति, चोटों के विवरण एवं राय पंचान तथा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दर्ज चोटों के विवरण के आधार पर मैं इस सुविचारित मत पर पहुँचा हूँ कि याचीगण द्वारा मृतक की मृत्यु ट्रेन से गिरने सम्बन्धी दिये गये अभिकथन की पुष्टि नहीं होती। एडब्ल्यू–1 घटना का प्रत्यक्षदर्शी नहीं है।

12. दूसरी ओर, उत्तरदाता की ओर से दाखिल वैधानिक विवेचना आख्या के निष्कर्ष के अनुसार– *"जांच से स्पष्ट है कि मृतक भारतलाल पटेल पुत्र बालकरन पटेल निवासी धनुहां नेवती, थाना– नैनी, जिला– प्रयागराज का रिकार्ड स्टेशन मास्टर भीरपुर से प्राप्त किया गया। स्टेशन मास्टर भीरपुर द्वारा फार्म–1 जारी किया गया। थाना करछना से पंचायतनामा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त किया गया है। पंचायतनामा में मृतक के पास से रेल टिकट या कोई अन्य सामान नहीं मिला था। मृतक की मृत्यु ट्रेन से गिरकर नहीं हुई है, बल्कि अनाधिकृत रूप से गेट को पार करते समय रेल से टकराने के कारण हुई है। रे.सु.ब. पोस्ट प्रया. छिवकी से घायल मृतक रजिस्टर की प्रति, गेटमैन का बयान, व क्लेमकर्ता का बयान रिकार्ड किया गया। रिकार्ड के अनुसार मृत्य की मृत्यु ट्रेन से गिरकर नहीं हुई है बल्कि अनाधिकृत रूप से गेट को पार करते समय रेल से टकराने के कारण हुई है।"* वैधानिक विवेचना आख्या के साथ श्री विकास श्रीवास्तव/गेटमैन नं. 29बी का बयान संलग्न है जिसमें उन्होंने बताया है कि– *"दिनांक 20.06.2019 को मेरी ड्यूटी बतौर गेटमैन गेट सं. 29B पंचविवरा पर समय 6.00 बजे से 14 बजे तक थी. दौराने ड्यूटी समय 11 बजे गाड़ी सं. 12819 को थ्रू पास करवाने हेतु गेट को बन्द किया गया था। तभी एक व्यक्ति अचानक गेट के नीचे से साइकिल लेकर उत्तर से दक्षिण की तरफ आने लगा जिसे मेरे द्वारा हाथ के इशारे से आवाज लगाते हुए रोकने का प्रयास किया परन्तु मुझे अनसुनी कर ट्रेन नं. 12819 से टकराकर घसीट गया और मृत्यु हो गयी। जिसके सम्बन्ध में मेरे द्वारा SM/BEP को सूचित किया गया।"* जांचक्रम में प्राप्त किये गये बयानों एवं अभिलेखों से स्पष्ट है कि मृतक भारतलाल रेल यात्री नहीं

था क्योंकि उसके शव से कोई वैध प्रमाण पत्र या टिकट जो उसके रेल यात्री होने की पुष्टि करे, नहीं पाया गया।

13. उत्तरदाता द्वारा अपने कथनों के समर्थन में श्री विकास श्रीवास्तव, तत्कालीन गेटमैन का शपथ पत्र आर डब्ल्यू–1 के रूप में प्रस्तुत किया एवं आर डब्ल्यू–1 दिनांक 27.10.2023 को न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुआ और उनका प्रतिपरीक्षण वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिनांक 27.10.2023 को किया गया। आर डब्ल्यू–1 के द्वारा प्रतिपरीक्षण में दिये कथनों के आधार पर यह स्पष्ट है कि मृतक ट्रेन से यात्रा नही ंकर रहा था तथा उसकी मृत्यु अनाधिकृत रूप से रेलवे क्रासिंग को पार करते हुए ट्रेन की चपेट में आने से हुई। उत्तरदाता द्वारा प्रस्तुत इन साक्ष्यों से वे याचीगण के घटना सम्बन्धी दावे का सम्यक् खण्डन करने में सफल रहे हैं।

14. जहाँ तक मृतक के सद्भावी रेल यात्री का प्रश्न है तो इस सम्बन्ध में एडब्ल्यू–1 श्री बालकरन पटेल को साक्ष्य के तौर पर प्रस्तुत किया गया। एडब्ल्यू–1 का प्रतिपरीक्षण प्रतिवादी रेलवे द्वारा किया गया। एडब्ल्यू–1 घटना का प्रत्यक्षदर्शी नहीं है। एडब्ल्यू–1 द्वारा अपने प्रतिपरीक्षण में दिये गये कथन पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर आपस में विरोधाभासी हैं तथा विश्वसनीय योग्य नहीं हैं। याची पक्ष के इन साक्ष्यों के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि वे प्रश्नगत घटना को सिद्ध करने में विफल रहे हैं।

15. अतः याचीगण की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य एवं पत्रावली पर मौजूद सभी दस्तावेजों एवं विधिक सिद्धान्तों का सम्यक् अवलोकन व परिशीलन करने के उपरान्त मेरे मत में मृतक रेल का सद्भावी यात्री नहीं था तथा मृतक की मृत्यु रेलगाड़ी से गिर जाने के परिणामस्वरूप आयी चोटों के कारण नहीं हुयी थी, तथा यह घटना रेल अधिनियम, 1989 की धारा–123 (सी) (2), सपठित धारा 124–ए के अन्तर्गत परिभाषित 'अनपेक्षित रेल दुर्घटना' की परिधि के अन्तर्गत नहीं आती है। अतः वाद बिन्दु संख्या–1 व 2, तद्नुसार याचीगण के विरूद्ध विनिश्चित किये जाते हैं।

<u>वाद बिन्दु संख्या– 3, 4 व 5</u>

16. वाद–बिन्दु संख्या 1 व 2 की विवेचना के प्रकाश में मेरी राय में इन वाद बिन्दुओं पर विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती है तथा याचीगण की याचिका खारिज किये जाने योग्य है।

आदेश

17. याचीगण की याचिका खारिज की जाती है। उभय पक्षकार अपना–अपना वाद–व्यय स्वयं वहन करेंगे।

18. निर्णय की प्रति दोनों पक्षकारों को बिना किसी मूल्य के उपलब्ध करायी जाए और याचीगण को निर्णय की प्रति उनके द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध निवास स्थान के पता पर स्पीड पोस्ट से भेजा जाए। तद्नुसार, समस्त औपचारिकताएँ पूर्ण होने के उपरान्त फाइल को दाखिल–दफ्तर किया जाए।

(राजीव जैन)
सदस्य (न्यायिक)/नागपुर पीठ
सर्किट बेंच–इलाहाबाद न्यायपीठ

निर्णय आज दिनांक 11.09.2024 को खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित करके सुनाया गया।

(राजीव जैन)
सदस्य (न्यायिक)/नागपुर पीठ
सर्किट बेंच–इलाहाबाद न्यायपीठ